



मु० न०:- 107/2024

तारीखरजू:- 3/9/24

उनवान:- शारदा बनाम बत्तीलाल
दावा बावत बटवारा स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
3/9/24	<p>वादी की ओर से श्री विष्णु कंटक एडवोकेट ने दावा बावत बटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 07.10.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (सुनीता मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी </p>	<p>5072-86 3/9/24</p>
7/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील ने उपखण्ड अधिकारी इस बाबत इस्तेमाल किया कि पञ्जाब के मध्यराजीनामा डी माया है। इसलिये दावा बावत बटवारा स्थायी निषेधाज्ञा नोटिस के द्वारा किया जाता है। पत्रावली केवल मुभा डीक नम्बर के कम कर डीक डीक डीक है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-गंगापुर सिटी </p>	<p>Notpress V. Kaurale. Ad.</p>

